न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 68/2020 अपील

1. दशरथ सिंह पुत्र शिवसिंह राजपूत निवासी मण्डपिया शक्तावतान 2. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र शिवसिंह राजपूत निवासी मण्डपिया शक्तावतान 3. सुनीता कंवर पुत्री शिव सिंह राजपूत निवासी मण्डपिया शक्तावतान तहसील व जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम 1. राजस्थान राज्य जरि तहसीलदार भीलवाडा जिल भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2874 दिनांक 17.10.1994 उपतहसीलदार भीलवाडा अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित –

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश तिवाडी राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.09.2020

अपीलार्थी की ओर से यह अपील धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश उपतहसीलदार भीलवाडा नामान्तरकरण संख्या 2874 दिनांक 17.10.1994 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर में आराजी नम्बर ग्राम पुर पटवार हल्का पुर में आराजी नम्बर 7299 रकबा 7.03 बीघा स्थित है जो नाथू पुत्र सुखा जाट निवासी लक्ष्मीपुरा के नाम पर खातेदार दर्ज थी। उक्त आराजियात में से अपीलांट की माताजी श्रीमती जगदीश कंवर पत्नी शिवसिंह राजपूत निवासी मण्डपिया शक्तावतान द्वारा 1/7 वां हिस्सा जिसके पडौस पूर्व में सरकारी रास्ता, पश्चिम में हरलाल का मकान, उत्तर में विक्रेता स्वयं की आराजी, दक्षिण में सरकारी रास्ता है, के मध्य का दिनांक 30.09.1982 को पंजीयन करवाया था, जिसका नामान्तरकरण संख्या 2874 के जरिये केता के नाम दर्ज हुयी परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी विक्रेता खातेदार अकेला व्यक्ति था व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में विक्रयशुदा आराजी के पडौस अंकित है व उक्त पडौसों के मध्य ही जमीन पर केता का कब्जा हो गया है, तो उक्त नामान्तरकरण 1/7 हिस्से से फैसल कर 1/7 वां हक हिस्सा में आने वाला रकबा का इन्द्राज कर आराजी नम्बर भी अलग दर्ज कर नक्शे में भी अलग तरमीम करना था, परन्तु उक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अनुसार नहीं करके 1/7 हक हिस्सा शामलाती में दर्ज कर दिया, जो कानूनन गलत हैं। अपीलांट्स की माताजी द्वारा क्रय करने के पश्चात् उक्त आराजियात का

कुछ भाग पी. डब्ल्यू.डी. नेशनल हाईवे में अवाप्त हुआ, जिसमें भी अपीलांट का नाम दर्ज है, परन्तु अपीलांट द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भू भाग का मुआवजा प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि अवाप्तशुदा भू भाग पर अपीलांट का कब्जा नहीं था व न ही अपीलांट की माता द्वारा अवाप्तशुदा भू भाग खरीदा था, अवाप्तशुदा भू भाग से अपीलांट का कोई सरोकार नही है व क्रय की दिनांक से अपीलांट्स की माता का कब्जा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र में जो पडौस अंकित हैं, उसी पर वाउण्ड्रीवाल बनाकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही थी व अपीलांट्स की माता का देहान्त होने पर विधिक वारिस अपीलार्थीगण हैं। अपीलांट्स ग्रामीण परिवेश से है एवं अपनी भूमि की पत्थरगढी हेतु पटवार हल्का से नकल दिनांक 27.07.2020 को प्राप्त होने पर उक्त नामान्तरकरण से जानकारी में आया कि उक्त जमीन शामलाती दर्ज हैं। जानकारी की दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि पेश हैं। अपील पेश करने में हुयी देरी के समय को कण्डौन किये जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। निवेदन हैं कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2874 दिनांक 17.10.1994 को अपास्त करा अपीलार्थीगण की माता द्वारा कयशुदा रकबे का विक्रयपत्र में वर्णित पडौसों अनुसार नया आराजी नम्बर कायम करा व राजस्व नक्शे में तरमीम कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.08.2020 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2874 दिनांक 17.10.1994 को अपास्त करा अपीलार्थीगण की माता द्वारा कयशुदा रकबे का विक्रयपत्र में वर्णित पडौसों अनुसार नया आराजी नम्बर कायम करा व राजस्व नक्शे में तरमीम कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर की आराजी संख्या 7299 रकबा 7.03 बीघा मे से 1/7 हिस्सा बेचान रजिस्ट्रीसुदा होने से श्रीमती जगदीश कंवर पत्नी शिव सिंह राजपूत निवासी मण्डपीया के नाम नामान्तरकरण संख्या 2874 दिनांक 17.10.1994 को खोला गया है जो सही है, किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर की आराजी संख्या 7299 रकबा 7.03 बीघा नाथू पिता सुखा जाट निवासी

लक्ष्मीपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसमें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.12.1982 से श्रीमती जगदीश कंवर पत्नी शिव सिंह राजपूत निवासी मण्डपीया के पक्ष में 1/7 हिस्सा विक्रय होकर नामान्तरकरण संख्या 2874 दिनांक 17.10.1994 से इन्द्राज करने की स्वीकृति हुयी हैं। उक्त विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट एवं अपीलाण्ट के वारिसान का राजस्व रिकार्ड संवत् 2069–72 में 1/7 हिस्सा दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 2874 दिनांक 17.10.1994 की अपील लगभग 26 वर्ष पश्चात् की गयी है, इस अवधि के दौरान उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन हो चुके हैं। अन्य व्यक्ति भी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुके हैं, जिनकी भी वादग्रस्त आराजियात को पृथक किये जाने एवं नक्शे में तरमीम करने से पूर्व सुनवायी की जाना आवश्यक हैं। अपीलाण्ट ने अपनी अपील मेमों में अन्य खातेदार को भी पक्षकार नही बनाया हैं। नामान्तरकरण संख्या 2874 दिनांक 17.10.1994 को स्वीकृत करने में उप तहसीलदार भीलवाडा की कोई विधिक त्रुटि प्रमाणित नही होती हैं। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग हैं, इसके माध्यम से किसी के विभाजन एवं नक्शे में तरमीम करने की कार्यवाही नही की जा सकती है। अपीलार्थी द्वारा कयसुदा 1/7 हिस्से की भूमि को पृथक से नाम पर दर्ज कराने एवं राजस्व नक्शे में तरमीम कराने की प्रार्थना की गयी है, जिसके लिए अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी में से 1/7 हिस्सा विभाजन के दावे से एवं राजस्व नक्शे में तरमीम कराने की कार्यवाही कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर दाद हासिल करने हेतु स्वतंत्र हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नही ठहरती है।

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्व आदेश उप तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 2874 दिनांक 17.10.1994 के विरूद्व अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2874 दिनांक 17.10.1994 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28-9-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा